कार्यालयः- जिला परिषद, लातेहार।

सूचना

एतद् द्वारा सभी आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड, रांची का अधिसूचना संख्या-1376 दिनांक-01.04.2015 द्वारा निर्गत संकल्प तथा अंचलाधिकारी, बालुमाथ का पत्रांक-577 दिनांक-03.10.2015 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में बालुमाथ पशु मेला (कार्तिक पूर्णिमा) सैरात की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए खुली डाक द्वारा उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद लातेहार के डी0आर0डी0ए0 स्थित कार्यालय प्रकोष्ट में बन्दोबस्ती दिनांक-02.11.2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे की जाएगी। जो व्यक्ति खुली डाक में भाग लेना चाहते है उक्त तिथि को डाक में भाग ले सकते है। डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को विगत वर्ष के बन्दोबस्ती की राशि का 50 प्रतिशत नगद अग्रधन के रूप में जमा करना होगा तभी डाक में भाग ले पायेंगे तथा उच्चतम डाक वक्ता को एक मुश्त सम्पूर्ण राशि उसी दिन जमा कर देनी होगी अन्यथा डाक रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।

उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद लातेहार को बिना कारण बताये डाक स्थगित करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

क्र	सैरात का नाम	थाना	बन्दोबस्ती का तिथि	वर्ष 2015-16 की बन्दोबस्ती की राशि	जमानत की राशि
2	बालुमाथ पशु मेला (कार्तिक पूर्णिमा)	बालुमाथ	02/11/2016	4,74,007.00	47,500.00

नोटः- 1. निलामी की नियम एवं शर्तें कार्यालय के सूचना पट् पर तथा NIC Latehar के वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

2. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए स्थानीय प्रमाण-पत्र/ वोटर पहचान पत्र/आधार कार्ड की छाया प्रति (कोई एक) जमा करना अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।

ह0/-

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लातेहार।

ज्ञापांकः- 1045 दिनांकः- 20-10-016

प्रतिलिपिः-

1. उपायुक्त, लातेहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष जिला परिषद, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपाध्यक्ष, जिला परिषद, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. आरक्षी अधीक्षक, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार को सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ।
6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालुमाथ/ अंचल अधिकारी, बालुमाथ तथा श्रीमती सुनीता देवी, बालुमाथ (पश्चिमी) जिला परिषद लातेहार को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।
7. जिला अभियंता, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. थाना प्रभारी, बालुमाथ को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ।

20/10/16

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लातेहार।

d:\bara babu\afajal sir\bus paraw suchana..docx